23/16 गिरधारी/पूनाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही / मय इनिशियल्स सत्र	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तारीख में जारी हुए
	प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 1.8.18 तक स्थगन बढ़ाया जाता है। पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 1.8.18 को पेश हो। [illegible signature]	
1.8.18	पीठासीन अधिकारी के अवकाश/[illegible] पर होने से कार्यवाही दिनांक 29.8.18 के वास्ते तामील हेतु पेश हो। [illegible signature] रीडर	
29.8.18	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित। अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 श्री R.C. सारस्वत ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4(3) जा.दी. प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी सं. 4 बालूराम s/o चमना बलाई की मृत्यु दिनांक 22.3.16 को होना बताते हुए मृतक बालूराम के वारिसान के नाम अंकित किये एवं बालूराम के वारिसान पारसी देवी एवं बसन्ती कुमारी का अधिकार पत्र भी प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा मृतक प्रत्यर्थी के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। अधि. न्यायालय की अपीलाधीन डिग्री मृतक प्रत्यर्थी एवं शेष प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 की संयुक्त है। इस कारण अपील के कायम मुकाम नहीं बनाये जाने से अपील अबेट उपशमित हो गई है। अतः अपील अबेट फरमाई जावे। उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति अधिवक्ता अपीलार्थी श्री अशोक औझा को दिलाई गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी सं. 6/1, 6/2, 6/3, 10 व 11 के सम्मन नोटिस मय तलबाना के पेश किये। पत्रावली वास्ते बहस 22 नियम 4(3) हेतु दि. 30.8.18 को पेश हो। [illegible signature]	
30.8.18	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रत्यर्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की न्यायालय समय में [illegible]	

गिरधारी V/s पूनाराम
TA/231/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही/मय इनिशियल्स सत्र	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तारीख में जारी हुए
	बार आवाज लगवाई गई। अधिवक्ता अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने से एवं जवाब-प्रार्थना पत्र 22 नियम 4(3) का जवाब जानबूझ कर प्रस्तुत किये जाने एवं पूर्व पेशी दिनांक 18.7.18 को भी अधिवक्ता अपीलार्थी को मृतक प्रत्यर्थी सं. 4 व 9 के वारिसान की सूची (कायम मुकाम हेतु) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने आर्डरशीट दि. 18.7.18 को स्वयं ने प्रत्यर्थी सं. 4 व 9 के कायम मुकाम पूर्व में पत्रावली में पेश होना अंकित किया है। जबकि दिनांक 29.8.18 को अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने मृतक प्रत्यर्थी के वारिसान की सूची पेश कर, अपील अबेट किये जाने का निवेदन किया/जिसकी प्रति अधिवक्ता अपीलार्थी को दिलाये जाने एवं पत्रावली दि. 30.8.18 को नियत किये जाने पर बावजूद जानकारी अधिवक्ता अपीलार्थी अनुपस्थित रहने से पत्रावली अदम पैरवी अदम हाजरी एवं अदम अनुपालना में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। बाद तकमील के दाखिल दफ्तर हो। [signature] भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा	